FORM NO. III

A.P.A
Com-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ____ मुकाम उपखण्ड कलेक्टर, सोजत

खियाराम बनाम जेठाराम वगैरह

मुकदमा 09(13) नं. 877 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]/2020	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश मेहरडा ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 CPC का पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर हो। जिस पर प्रार्थना-पत्र में वर्णित मूल पत्रावली को तलब कर संलग्न किया गया। पक्षकारान को नोटिस जरिए रजिस्टर्ड AD जारी हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी हेतु दिनांक 15/[illegible]/2020 को पेश हो। उपखण्ड कलेक्टर, सोजत	
15/0[illegible]/2020	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। पक्षकारान को सम्मन जरिए रजिस्टर्ड AD जारी किए। जिसकी रसीद अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मय नोटिस पेश की। बावजूद सूचना के पक्षकारान अनुपस्थित। जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ~~पत्र~~ द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादपत्र सं. 311/2002 व पुराने वादपत्र सं. [illegible]/200[illegible] [illegible] प्रार्थी को प्राप्त [illegible] प्रेषित किए गए। [illegible] बिना सुनवाई का अवसर दिए दिनांक 13/04/2009 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की व उक्त डिक्री के P.T.O उपखण्ड कलेक्टर, सोजत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:40:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आधार पर 7/11/2019 को अंतिम डिक्री जारी की गई।
	अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त की जावें। ~~मूल~~
	प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मूल पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को उक्त वादपत्र की कोई सूचना नहीं थी। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।
	अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आदेश (9) नियम (13) CPC का स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के वादपत्र सं 31/2002 व पुराने वादपत्र सं 156/2000 में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 13/04/2009 व अंतिम डिक्री दिनांक 7/11/2019 को अपास्त किया जाता है। तथा उक्त निर्णय व डिक्री की पालना प्रभाव स्थगित की ~~जा~~ किए जाते है।
	पत्रावली [illegible] मिसल शुमार होकर मूल वाद के साथ [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:40:32 IST
Reason: SelfAttested

निरीक्षक [illegible]

Scanned by CamScanner